राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः अराज/टीसी/2024/131 दिनांकः 13/03/2024

आदेश

निदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित विभिन्न आदेश/निर्णयों की पालना में नियुक्त किये गये निम्नांकित अभ्यर्थी जो निदेशालय मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे है, का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार किया जाता हैः–

क. सं.	नाम	पदनाम	भर्ती	चयनित आदेश क्रमांक / दिनांक	निदेशालय मे कार्यगृहण तिथि	पदस्थापन स्थान
1	मनीष गालव	नर्सिग ऑफिसर	2013	325/06.10.2023	09-10-2023	जिला चिकित्सालय फलौदी
2	विनोद कुमार ढोडरिया	नर्सिग ऑफिसर	2013	325/06.10.2023	09-10-2023	मेडिकल कॉलेज, कोटा
3	देवेन्द्र सिंह	नर्सिग ऑफिसर	2013	325/06.10.2023	09-10-2023	सीएचसी जालोरा, लोहावट, फलौदी
4	कन्हैया राय	नर्सिग ऑफिसर	2013	328/12.10.2023	13-10-2023	मेडिकल कॉलेज, कोटा
5	अशोक कुमार सैन	नर्सिग ऑफिसर	2013	329/12.10.2023	13-10-2023	उप जिला चिकित्सालय नैनवा, बूदी
6	जयकुमार सोनी	नर्सिग ऑफिसर	2013	331/16.10.2023	17-10-2023	पीएचसी आकोडा, बून्दी
7	लोकेश मीणा	प्रयोगशाला सहायक	2018	1059/12.10.2023	13-10-2023	सीएचसी देचू, फलौदी
8	गोविंद कौशिक	प्रयोगशाला सहायक	2018	1058/12.10.2023	13-10-2023	बीसीएमओ भुसावर, भरतपुर
9	हिरेन्द्र पारधा	प्रयोगशाला सहायक	2018	1058/12.10.2023	13-10-2023	बीसीएमओ भुसावर, भरतपुर
10	पवन कुमार	प्रयोगशाला सहायक	2018	1060/12.10.2023	13-10-2023	बीसीएमओ नदबई, भरतपुर
11	राजेन्द्र महावर	प्रयोगशाला सहायक	2018	1059/12.10.2023	13-10-2023	सीएचसी खेडली गडासिया, भरतपुर
12	सत्य प्रकाश	प्रयोगशाला सहायक	2018	1058/12.10.2023	13-10-2023	बीसीएमओ सेवर, भरतपुर
13	राकेश कुमार	प्रयोगशाला सहायक	2018	1058/12.10.2023	13-10-2023	बीसीएमओ रूपवास, भरतपुर
14	जुबेर आबेदीन	नर्सिंग ऑफिसर	2018	771 / 30.06.2023	03-07-2023	पीएचसी चांदसामा, देचू, फलौदी
15	शमीम अख्तर अंसारी	नर्सिंग ऑफिसर	2018	770/30.06.2023	30-06-2023	सीएचसी बापिनी, फलौदी
16	मयंक भारद्वाज	लैब टैक्निशियन	2020	518 / 11.08.2023	14-08-2023	जिला चिकित्सालय हिण्डोन, करौली
17	सीमा चौधरी पुत्री श्री भवंर लाल	लैब टैक्निशियन	2020	607/18.10.2023	27-10-2023	जनाना चिकित्सालय, अजमेर

RajKaj Ref 6097955

	चौधरी					
18	अजय प्रकाश शर्मा	नर्सिंग ऑफिसर	2013	357/03.01.2024	03-01-2024	पीएचसी चहिंचा ब्लॉक कापरेण जिला बून्दी
19	विवेकानन्द तिवारी	नर्सिंग ऑफिसर	2013	356/03.01.2024	03-01-2024	उप जिला चिकित्सालय वैर, भरतपुर
20	भूपेन्द्र सिंह राघव	नर्सिंग ऑफिसर	2013	357/03.01.2024	03-01-2024	ईएसआई डिस्पेंसरी नं. 3, कोटा

1. कार्मिक के पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण कराते हुये संबंधित संस्थान/जिले में कार्यरत कार्मिक व स्वीकृत पदों की वस्तुस्थिति से तत्काल निदेशालय की ईमेल आई.डी. dmhs.tcng@gmail.com पर अवगत करायेगें।
2. निदेशालय में उपस्थिति दर्ज कर रहे इन कार्मिकों को **आज मध्यान्ह पश्चात कार्यमुक्त किया जाता है।**
3. उक्त नवनियुक्त कार्मिकों को उनके पदनाम हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय/वेतन भत्ते नियमानुसार देय होगें, तथा कार्यग्रहण से पूर्व समस्त आवश्यक दस्तावेज आदि की जांच करेगें।
4. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, को मूल ही दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी। सभी छाया प्रतियां स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे।
5. नवनियुक्त अभ्यार्थियों पर राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
6. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से कार्यग्रहण के समय नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा ।
7. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिन्ट विभाग की वैबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी प्रथमतः संबंधित नियंत्रक अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य/अधीक्षक/अन्य नियंत्रण अधिकारी) के समक्ष उनके कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे। तत्पश्चात ही पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त होकर प्रस्थान करेंगे।
8. गर्भवती महिलाओं के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. यह नियुक्ति, संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।
10. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण के समय विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पेश किया जाना अनिवार्य है।
11. उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियो को इस आशय का शपथ पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
12. नवचयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से धूम्रपान/नशा नहीं किया जावेगा। साथ ही इस आशय का स्वउद्घोषणा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाये कि उनके द्वारा ना तो दहेज लिया गया है ना ही भविष्य में लिया जावेगा।
13. अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित कौंसिल में वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज–फर्जी/परिवर्तित/कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। साथ ही दोषी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाये जायेंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जायेंगे।

15. उक्त पदस्थापन संबंधित प्रकरण में माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांकः अराज/टीसी/2024/ 131 **दिनांकः** 13-03-2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 (ग्रुप 3) विभाग, राज0 जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें जोन, राजस्थान।
5. संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6097955

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma II
Designation : Director
Date :13-03-2024 03:32:54